(274

झारखण्ड सरकार

पत्रांक:9/RCH-387/17- 172 (HSN)

दिनांक– 09/07/2018

हिमानी पाण्डे, भा०प्र०से०
सचिव, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग।

निधि खरे, भा०प्र०से०
प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

अमरेन्द्र प्रताप सिंह, भा०प्र०से०
प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विकास विभाग।

विषयः–10 अगस्त, 2018 को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के संबंध में।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,

कृमि संक्रमण (Soil Transmitted Helminths) भारत में बच्चों के लिए स्वास्थ्य विभाग का एक महत्वपूर्ण विषय है। देश मे 1–14 वर्ष के लगभग 68% (22 करोड़) बच्चों को आंत मे कृमि का खतरा होने का अनुमान हैं। साक्ष्य यह बताते हैं कि कृमि संक्रमण बच्चों के शारीरिक विकास, एनीमिया, पोषण और ज्ञान सम्बंधी विकास के साथ–साथ विद्यालय की उपस्थिति पर भी हानिकारक प्रभाव डालता है। निश्चित समयांतराल पर कृमिनाशक दवा देने से कृमि संक्रमण के फैलाव को रोका जा सकता है।

झारखण्ड सरकार राज्य के बच्चों के स्वास्थ्य के स्तर में सुधार करने हेतु प्रतिबद्व है। कृमि संक्रमण को कम करने हेतु स्कूल और आंगनबाड़ी आधारित कृमि मुक्ति कार्यक्रम व्यापक स्तर पर 10 अगस्त, 2018 को एव मॉप–अप दिवस 17 अगस्त , 2018 को आयोजित किया जा रहा है।

हम राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस को आयोजित करने में सहयोगी विभागों के साथ–साथ स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और महिला एंव बाल विकास विभाग के सक्रिय सहयोग और भागीदारी की आशा करते हैं। तीनों विभागों द्वारा इस कार्यकम के प्रभावी कियान्वयन को सुनिश्चित करने एवं कवरेज को बढ़ाने हेतु राज्य, जिला एंव प्रखंड स्तर पर संयुक्त प्रयास करने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, अगस्त 2018 के सफल कियान्वयन हेतु जिलों के विभिन्न विभागों में समन्वय बढाने हेतु कुछ बिन्दुओं पर कार्य करना अपेक्षित है जो इस पत्र के साथ संलग्न है **(कृपया अनुलग्नक देखें)**

हमें यह विश्वास है कि राष्ट्रीय कृमि दिवस 2018 में आपके सहयोग से हम 1–19 वर्ष के सभी बच्चों तक पहुंचने में सफल होंगे और सभी बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और शैक्षणिक परिणाम से उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला पाएंगे।

(हिमानी पाण्डे)

27/6/18
(निधि खरे)

04/07/18
(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)

D: CH Cell/ NDD Cell

1273

ज्ञापांक: 172 (HSN)   दिनांक 9/7/2018

प्रतिलिपि:

1. निजी सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, झारखण्ड सरकार।
2. निजी सचिव, माननीय शिक्षा मंत्री, झारखण्ड सरकार।
3. निजी सचिव, माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, झारखण्ड सरकार।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार।
5. सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड सरकार।
6. सचिव, पंचायती राज विभाग, झारखण्ड सरकार।
7. सचिव, झारखण्ड अधिविज्ञ परिषद, (JAC) झारखण्ड।
8. सचिव, झारखण्ड प्रावैधिक पर्षद, (SBTE) झारखण्ड।
9. सभी जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक, माध्यमिक शिक्षा)
10. सभी महिला एवं बाल विकास विभाग पदाधिकारी।
11. सभी सिविल सर्जन, झारखण्ड सरकार।
12. समस्त प्राईवेट स्कूल यूनियन से निवेदन है कि उनसे संबंधित प्राईवेट स्कूलों में कार्यक्रम के बारे मे जागरूकता पैदा करके उन्हें कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रेरित करें।
13. राष्ट्रीय प्रतिनिधि, एविडेन्स एक्शन।

(हिमानी पाण्डे)   27/6/18 (निधि खरे)   04/07/18 (अमरेन्द्र प्रताप सिंह)

D: CH Cell/ NDD Cell

1272

<u>अनुलग्नक</u>

- सभी सहयोगी विभाग, स्कूल और आंगनबाड़ी आधारित राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के आयोजन हेतु निर्धारित दिनांक–10 अगस्त, 2018 और मॉप अप दिवस हेतु निर्धारित दिनांक–17 अगस्त, 2018 को इस कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु स्वास्थ्य विभाग से अवश्य समन्वय स्थापित करें।
- उपायुक्त अपनी अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय बैठक दिनांक–29 जून, 2018 से पूर्व तक करें जिससे कि कार्यक्रम हेतु योजना निर्माण, कियान्वयन और रिपोर्टिंग पूर्व निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जा सके। सभी विभाग अपनी विभागीय बैठकों मे राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के मुद्दे को प्रमुखता से शामिल करें जिससे कि कार्यक्रम से संबंधित मुख्य सन्देशों पर चर्चा लक्ष्य प्राप्ति हेतु की जा सके।
- जिला स्तर पर शिक्षा विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रखण्ड स्तर के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से दिनांक–10 जुलाई, 2018 तक किया जाना हैं। प्रखंड स्तरीय अध्यापकों एवं आंगनबाडी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण दिनांक–30 जुलाई, 2018 तक किया जाना सुनिश्चित करें।
- शिक्षा विभाग जिला शिक्षा पदाधिकारियों के माध्यम से प्राईवेट स्कूलों / इंटर कॉलेज / तकनीकी विद्यालय की जिला स्तर पर बैठक उपायुक्त के अध्यक्षता में दिनांक–30 जून, 2018 तक आयोजित करें साथ ही प्रखण्ड स्तर पर प्राईवेट स्कूलों / इंटर कॉलेज / तकनीकी विद्यालय का प्रशिक्षण शिक्षा विभाग की नियमित होने वाली प्रशिक्षण में दिनांक–30 जुलाई, 2018 तक आयोजित करना सुनिश्चित करें ताकि उन्हें कार्यक्रम के संबंध में जागरूक कर उनकी भागीदारी बढायी जा सकें।
- कार्यक्रम के बारे में जागरूकता और कवरेज को बढाने के लिए सभी समन्वय विभाग स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त प्रचार–प्रसार सामग्री को स्कूलों, आंगनबाडी केन्द्रों और समुदाय में उपयुक्त जगह पर प्रसारित करेंगे। प्रचार–प्रसार की सामग्री 30 जून, 2018 तक जिला को मुद्रित कर प्रखण्ड में 05 जुलाई तक वितरण करना सुनिश्चित करें ताकि प्रखण्ड स्तर के प्रशिक्षण में एकीकृत वितरण संभव हो सकें।
- महिला एवं बाल विकास विभाग जिला स्तर पर एक दिशा–निर्देश जारी करे जिसमें जुलाई से अगस्त माह में होने वाली VHND बैठक में कृमि मुक्ति दिवस की चर्चा आगनबाड़ी कार्यकर्त्ता अवश्य करें।
- सभी आंगनबाडी कार्यकर्ता 1 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों, आंगनबाडी में पंजीकृत एवं आंगनबाडी में पंजीकृत बच्चों और स्कूल न जाने वाले 6–19 वर्ष के बच्चों को एल्बेंडाजॉल की गोली अपनी देखरेख में अवश्य दे। सभी स्कूल के अध्यापक 6 से 19 वर्ष तक के बच्चों को जो प्राईवेट स्कूल, सरकारी स्कूल, केन्द्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूल, स्थानीय निकाय द्वारा चलाये जा रहे स्कूल, आदिवासी क्षेत्र के लिए चलाए जा रहे स्कूल, संस्कृत स्कूल इत्यादि में नामांकित हैं उन्हें एल्बेंडाजॉल की गोली अपनी देखरेख में अवश्य दे।
- सभी संबंधित विभागों को एल्बेंडाजॉल गोली के बारे में यह जानकारी बतानी चाहिए कि यह गोली सुरक्षित है और इसे खाली पेट भी ले सकते है।
- स्कूल और आंगनबाडी द्वारा भरे गये रिपोर्टिंग प्रपत्र को निर्धारित समयानुसार जमा करवाये।
- स्वास्थ्य विभाग कार्यकम के बारे में समुदाय मे जागरूकता बढाने लिए 9 अगस्त, 2018 को जिला एंव प्रखंड स्तर पर उद्घाटन कार्यक्रम अवश्य आयोजित करें। विभिन्न मीडिया के माध्यम से इसका प्रचार–प्रसार किया जाए।
- स्वास्थ्य विभाग को पंचायती राज विभाग तथा स्वच्छ भारत मिशन एवं अन्य विभाग के साथ समन्वय बनाना है ताकि सभी उपलब्ध मंचों का उपयोग करते हुए समुदाय में अधिक से अधिक जागरूकता सुनिश्चित की जा सकें।
- राष्ट्रीय कृमि दिवस और मॉप अप दिवस को विद्यालय प्राचार्य / प्रधानाध्यापक, अध्यापक और आंगनबाडी कार्यकर्ता को किसी प्रकार की प्रतिकूल घटना के समाधान के लिए सजग रहना हैं एवं सुनिश्चित करना है कि प्रतिकूल घटना के होने पर समय से सूचना ए.एन.एम. के माध्यम से प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं सिविल सर्जन को दी जाय। सभी विद्यालय प्राचार्य / प्रधानाध्यापक,आंगनबाडी कार्यकर्ता अपने पास संबंधित स्वास्थ्य पदाधिकारी का फोन नंबर अवश्य रखें।

D: CH Cell/ NDD Cell

- किसी भी प्रकार की प्रतिकूल घटना से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार रहना हैं। इसके लिए 104(स्वास्थ्य विभाग की हेल्पलाईन नं0) एवं 108 की सहायता ली जा सकती है।
- स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य एवं जिला स्तर पर प्रेस/मीडिया प्रतिनिधियों को कार्यक्रम के बारे में जागरूक और संवदेनशील बनाने हेतु 10 अगस्त, 2018 से पूर्व विशेष सत्र आयोजित किया जाना है।
- सभी सहियाओं को स्कूल न जाने वाले 6–19 वर्ष के बच्चों एवं ऑगनबाडी केन्द्र में गैरपंजीकृत बच्चों (1–5 वर्ष) की सूची तैयार करके दिनांक 15 जुलाई, 2018 तक ऑगनबाडी कार्यकर्ता को अवश्य उपलब्ध कराएँ। इसके साथ ही राष्ट्रीय कृमि मुक्ति और मॉप अप दिवस पर उन बच्चों को ऑगनबाडी केन्द्र जाकर कृमिनाशक दवा खानें के लिए प्रेरित करें। इस कार्य के लिए सहिया को 100 रु की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
- स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास तथा शिक्षा विभाग के अधिकारी प्रखण्ड में आयोजित होने वाले प्रशिक्षण का अनुश्रवण करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुश्रवण प्रपत्र की कॉपी सिविल सर्जन को देगे।
- राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस (10 अगस्त, 2018) और मॉप अप दिवस (17 अगस्त, 2018) के दिन स्वास्थ्य,महिला एवं बाल विकास तथा शिक्षा विभाग के अधिकारी कार्यक्रम का अनुश्रवण करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुश्रवण प्रपत्र की कॉपी सिविल सर्जन को देगे।
- एविडेंस एक्शन द्वारा लगाए गये फील्ड स्टाफ भी जिला एवं प्रखंड स्तर पर सहयोग करेंगे।
- मॉप अप दिवस (17अगस्त, 2018) के पश्चात संस्थानों (स्कूल एवं आंगनबाडी) में बची हुई दवा को नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर दिनांक–20 अगस्त, 2018 को जमा करें।